[राज्य सभा में 29 अप्रैल, 2016 को पुर:स्थापित रूप में]

2016 का विधेयक संख्यांक 24

संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016

भारत के संविधान का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का नाम संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(*2*) यह उस तारीख को प्रवृत होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

नए अनुच्छेद 21ख का अंत:स्थापन।

2. संविधान के अनुच्छेद 21क के पश्चात्, निम्नलिखित नए अनुच्छेद को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

अनुच्छेद 21क का नाम परिवर्तन।

21ख. (1) भाग IX तथा भाग IXक में निहित किसी बात के होते हुए भी भारत के प्रत्येक नागरिक को इस संविधान के उपबंधों के अनुसार संसद, राज्य विधान सभाओं, पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के सदस्य के रूप में चुने जाने का अधिकार होगा।

(*2*) संसद, राज्य विधान सभाओं, पंचायतों तथा नगर पालिकाओं में सदस्य होने और सदस्य के रूप में चुने जाने हेतु राज्य द्वारा किसी व्यक्ति के अनिवासी होने, चित विकृति, अपराध अथवा भ्रष्टाचार या गैर कानूनी कार्यकलापों के आधार पर निरर्हताओं के संबंध में उपबंध किए जाएंगे।

(*3*) संविधान में निहित किसी बात अथवा किसी न्यायालय के निर्णय अथवा आदेश के बावजूद खण्ड (1) और खण्ड (2) के साथ असंगत कोई कानून, ऐसी असंगतता की सीमा तक अमान्य होगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत के संविधान की उद्देशिका में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है और उसके नागरिकों के लिए राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय और प्रतिष्ठा एवं अवसरों की समता की गारंटी दी गई है।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान की व्याख्या करते समय बार-बार यह मत व्यक्त किया है कि लोकतंत्र भारत के संविधान की आधारभूत संरचना का एक भाग है। मतदान करने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार प्रतिनिधिक लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है और इस प्रकार संविधान की आधारभूत संरचना का भाग है।

भारत इंटरनेशनल कवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, 1966 का एक हस्ताक्षरकर्ता है और उसका अनुसमर्थन करता है। इस करार में यह अधिदेशित किया गया है कि राष्ट्र अपने नागरिकों के लिए आवधिक रूप से आयोजित होने वाले वास्तविक चुनावों में मतदान करने तथा निर्वाचित होने के अधिकार को सुनिश्चित करेंगे, जो व्यापक और समान मताधिकार द्वारा होगा तथा गुप्त मतदान द्वारा निष्पादित किया जाएगा। इस प्रक्रिया से मतदाताओं के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

तथापि, संविधान की लोकतांत्रिक योजना तथा भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के विपरीत कुछेक सरकारों के कार्यकारी निर्णयों के द्वारा नागरिकों के चुनाव लड़ने के अधिकार पर अर्हताएं अधिरोपित कर दी गई हैं, जिनके कारण निर्वाचन क्षेत्र के पचास प्रतिशत से अधिक व्यक्ति चुनाव लड़ने के अपने अधिकार का उपयोग करने से वंचित रह जाते हैं। यह स्थिति संविधान में मौजूद एक खामी के कारण, उत्पन्न हुई है जिसमें प्रत्येक नागरिक के चुनाव लड़ने की स्पष्ट गारंटी नहीं दी गई है।

यद्यपि इस अधिकार का उपयोग अब तक केवल स्थानीय स्वायत्त शासन के चुनावों हेतु किया गया है तथापि वर्तमान संवैधानिक योजना में, जैसा कि कतिपय राजनैतिक दलों द्वारा व्याख्या की गई है और न्यायालयों, द्वारा राज्य विधान सभा अथवा संसद हेतु चुनावों में इस प्रकार के अपवर्जनों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है जिसके कारण हमारे लोकतंत्र की नींव ही कमजोर पड़ जाती है।

अत: सभी सार्वजनिक पदों हेतु चुनाव लड़ने के नागरिकों के अधिकार की मौलिकता को स्पष्ट करना और उसको सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है और संसद, राज्य विधानसभाओं, पंचायतों और नगर पालिकाओं के सदस्य के रूप में चुने जाने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार का दर्जा देना समीचीन समझा गया है।

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है।

गुलाम नबी आजाद

राज्य सभा

भारत के संविधान का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

(श्री गुलाम नबी आजाद, संसद सदस्य)

GMGIPMRND—683RS(S-3)—03.05.2016.